इच्छा या आपत्ति यहाँ रजिस्टर्ड करें

हुक्म की तामील में जारी हुए

आज PO सा के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकाज से दौरे/अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 16/5/18 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

पुनश्चः पत्रावली लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ..... हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। पत्रावली दि. 11/6/18 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ..... में पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु०)
अजमेर

11/6/18

पत्रावली पर लिखा कोर्ट फीस आपके द्वारा कैम्प लगाकर कैम्प लगाकर आपके द्वारा अधिनियम 2018 के तहत नरसर के पक्ष में डिक्री उक्त पत्र को डिक्री उक्त पत्र को आदेश पर सहमति बाद 212 डी.सी. अधि. 1955 पर तुरन्त गाँधी आर्बिट्रेटर अधिनियम पर सहमति बाद 212 डी.सी. अधि 1955 स्वीकार किया जाकर मुर्ति के बारी आदेश उपरांत निर्णयार्थ लिखा 6/1/2012 को सहकार्य किया जाकर उक्त पत्र को मुल्य रूप से निस्तारण नहीं होने से राजस्व रिकार्ड कि मध्य मौके से राजस्व रिकार्ड में पालना किया स्वीकृति बगैर रखने से निर्णय मौके पर पाया है उक्त निर्णय मौके पर सुनाया गाँधी पत्रावली हमारे द्वारा दीकर समय से नहीं की

अध्यक्ष
लोक अदालत
सहायक कलक्टर (मु.)
अजमेर

सहायक
ललितकुमार
दफ्तरसे
गुलाबचन्द